न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

राजस्व अपील सं0 05/2024

उनवान

पानी उर्फ देवली पत्नी श्री हरजी, जाति गुर्जर, उम्र 91 वर्ष निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर ।

---------अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर --------रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः-

श्री हरिसिंह गुंर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री ओमप्रकाश गुंर्जर राजकीय अभिभाषक

-:आदेश:-

दिनांक :- 21.10.2024

अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विद्वान तहसीलदार अजमेर के नामांतकरण संख्या 1168 दिनांक 31.01.2024 ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर अवस्थित आराजियात खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.10 हैक्टर से रूष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश गुर्जर राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विद्वान उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.10 हैक्टर ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर अवस्थित आराजीयात राजस्व अभिलेख में वर्तमान अपीलांट के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा उक्त आराजी को सरकारी सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। उक्त आशय के प्रकरण के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया। जिस बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रकरण बाबत अधीनस्थ

जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय द्वारा 4 तनकीयात कायम कर तथा वादी एवं प्रतिवादीया के बयान लेकर उक्त प्रकरण बाबत दोनों पक्षकारों की बहस समाअत कर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद को अविधिक रूप से दिनांक 11.1.2024 द्वारा स्वीकार किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो वर्तमान में विचाराधीन है इसके बावजूद तहसीलदार अजमेर ने गैर कानूनी रूप से नामांतरकरण संख्या 1168 दिनांक 31.01.2024 तस्दीक कर दिया। वादग्रस्त खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है तथा उक्त आराजीयात बाबत अपीलांट की अपनी अन्य खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात के साथ राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी काश्तकारी के रूप में दर्ज थी ताकि अपीलांट द्वारा अपनी अन्य आराजीात बाबत उक्त आराजीयात बाबत मौके पर आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग उपभोग कर रही थी तथा उक्त रास्ता अपीलांट की निजी खातेदारी में अंकित था जिस बाबत सम्बंधित तहसीलदार को उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत प्रस्तुत करने का किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं था इसके बावजूद विधि के प्रावधानों के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अविधिक आदेश दिनांक 11.01.2024 की पालना 60 दिवस के पूर्व ही आनन–फानन में कर अपीलांट के खातेदारी/काश्तकारी के अधिकारों को समाप्त किए जाने जैसा उक्त आदेश नामांतकरण संख्या 1168 दिनांक 31.1.2024 के माध्यम से पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात तत्कालीन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा अपीलांट अपनी उक्त खातेदार/काश्तकारी की आराजीयात पर मौके पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है तथा अपीलांट 91 वर्ष की बुर्जुग एवं गरीब महिला है तथा गांव के ही असामाजिक तत्व के व्यक्तियों एवं अन्य भू–माफिया किस्म के व्यक्तियों द्वारा अपीलांट की उक्त आराजियात को हडप करने की नीयत से अपीलांट की उक्त आराजीयात पर कब्जा करने का प्रयास किया तथा उनके विरूद्व अपीलांट द्वारा पूर्व में भी असत्य कथनों के आधार पर एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर के समक्ष वाद संख्या 53/2020 प्रस्तुत किया था जिसे सम्बंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2020 को स्वीकार किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया गया था जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर अपील संख्या 223/2020 बनवानी पानी बनाम शिवराज के माध्यम से चुनौती प्रदान की गयी थी जिसमें न्यायालय द्वारा उक्त अपील को स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2020 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण को पुनः प्रति प्रेषित किए जाने का आदेश दिनांक 24.1.2023 को पारित कर दिया तथा उक्त आदेश की पालना में उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर के समक्ष विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण किसी भी प्रकार से संधारण योग्य नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तथा आनन फानन में स्वीकार किया जाकर उक्त अविधिक आदेश दिनांक 11.01.2024 पारित कर दिया ताकि तहसीलदार अजमेर द्वारा अवांछित व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से आनन फानन में उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट के अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित समयावधि से पूर्व ही उक्त नामांतकरण संख्या 1168 दिनांक 31.01.2024 तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य

जिला कलक्टर
अजमेर

है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा नामांतकरण संख्या 1168 दिनांक 31.01.2024 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

जवाब में रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम तबीजी के आराजी खसरा 2861 रकबा 0.10 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि के मौके पर प्राचीन समय से रेकॉर्डेड रास्ता हैं। उक्त रास्ता ग्राम तबीजी से ककलाना ग्राम को आवागमन हेतु एक मात्र आम रास्ता हैं। उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरान के मौके पर वर्तमान राजस्व कानून प्रभावशाली होने के काफी समय पूर्व से ही रास्ता जारी होना प्रमाणित होता है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 11.01.2024 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के यहां प्रस्तुत की जा चुकी हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया, न्यायालय पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 की पालना में तहसीलदार अजमेर द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1168 दिनांक 31.01.2024 खोला गया है। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 11.01.2024 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में दायर अपील संख्या टी0ए0 25/2024 बउनवान पानी उर्फ देवली बनाम सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर प्रस्तुत की जा चुकी हैं। चूंकि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के उक्त मूल आदेश दिनांक 11.01.2024 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील की जा चुकी हैं एवं वर्तमान में अपील विचाराधीन हैं। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2024 में कोई हस्तक्षेप करना न्याय संगत नहीं मानते है। अस्तु अपील अपीलान्ट्स उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपति आदेश यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर